लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2969
15 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग की स्थापना

2969. श्री सुनील कुमार:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार संसदीय क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में थारू जनजातियों के लिए कोई विशेष योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का वाल्मीकि नगर, बिहार में वस्त्र उद्योग स्थापित करने का विचार है या स्थापित करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): सरकार ने बिहार राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर सभी जातियों/जनजातियों के लिए इस क्षेत्र में निर्यात, उत्पादन, मांग और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख पहल/उपाय किए हैं:

i. एमएमएफ क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एमएमएफ फाइबर तथा यार्न के निर्माण हेतु एक प्रमुख कच्चा माल, पीटीए (विशुद्ध टैरेफथैलिक एसिड) और यार्न तथा निटवियर उद्योग हेतु एक कच्चा माल, एक्रीलिक फाइबर पर भी पाटनरोधी शुल्क हटा दिया है।

ii. सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए 4445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लगाओ और चलाओ सुविधा सहित ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों में सात पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम-मित्र) पार्क की स्थापना करने का अनुमोदन दिया है। ये पार्क वस्त्र उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने, बड़ा निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में वस्त्र उद्योग को सक्षम बनाएंगे। यह योजना निर्यात में वैश्विक अग्रणियों का निर्माण करने में सहायक होगी।

iii. एमएमएफ तथा तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को शामिल करते हुए 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,683 करोड़ रु. की उत्पादन संबंधी निवेश योजना की घोषणा की गई है जो निर्यात में वैश्विक अग्रणियों को तैयार करेगी और वस्त्र क्षेत्र में घरेलू उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

iv. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी करों/लेवियों की छूट प्रदान करके वस्त्र क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, सरकार ने अपैरल/गारमेंटस तथा मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों तथा उपकरों की छूट (आरओएससीटीएल) को 31 मार्च,2024 तक जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन भी दे दिया है।

(ग): सरकार वस्त्र उद्योग/इकाइयों की स्थापना/गठन नहीं करती है। सरकार की भूमिका, अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित करना, वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता करने के लिए नीतिगत पहलों और योजनाओं अर्थात् संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस), विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजनाएं (पावर-टेक्स), तकनीकी वस्त्रों के लिए योजनाएं, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), एसआईटीपी के तहत परिधान निर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त अनुदान की योजना (एसएजीएएम), समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना (एससीबीटीएस), जूट (आईसीएआरई- उन्नत खेती और विकसित रेटिंग प्रक्रिया), संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम), निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए), पटसन विविधीकृत उत्पाद के खुदरा आउटलेट और थोक आपूर्ति योजना, एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), सिल्क समग्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, परिधान इकाइयों के लिए उत्पादन और रोजगार संबद्ध योजना (एसपीईएलएसजीयू) आदि के माध्यम से इकाइयों को स्थापित करने के लिए उद्योग और निजी उद्यमियों के लिए समर्थकारी स्थितियां का निर्माण करने की सुविधा प्रदान करना है।

ये योजनाएं तथा पहलें जो प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना के निर्माण, कौशल विकास और वस्त्र क्षेत्र में क्षेत्र संबंधी विकास को बढ़ावा देती हैं, अनुकूल वातावरण का निर्माण करती हैं और देश में वस्त्र के निर्माण के लिए समर्थकारी स्थितियां प्रदान करती हैं तथा वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं।

इसके अलावा, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों आदि को कच्ची सामग्री, सामान्य अवसंरचनात्मक विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दरों पर ऋण, आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न परियोजनाओं/विपणन आयोजनों आदि के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार के पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों आदि को 112.27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई है।

***